संख्या–1053 /VI/2005–51(पर्य0)2003

प्रेषक,

आनन्द वर्द्धन,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
देहरादून।

पर्यटन अनुभाग: देहरादून:दिनांक 2 अगस्त,2005

विषयः–वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक में प्राविधानित अवचनबद्ध मदों की धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–432/VI/2005–51(पर्य0)2003,दिनांक 5 मई,2005 तथा वित्त विभाग के पत्र संख्या–527A/XXVII(I)/2005,दिनांक 26 अप्रैल,2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय होटल मैनेजमेन्ट एवं कैटरिंग संस्थान, देहरादून एवं अल्मोड़ा हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 में अवचनबद्ध मदों हेतु आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित रू0 47.00 लाख (रूपये सैंतालिस लाख मात्र ) की धनराशि को निम्नविवरणानुसार व्यय हेतु दोनो प्रभारी प्रधानाचार्यों के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

**लेखाशीर्षक – 3452– पर्यटन–80–सामान्य–आयोजनागत–00–104–सम्बर्द्धन तथा प्रचार–18– राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान अधिष्ठान–00–**

(धनराशि हजार रूपये में)

| क0स0 | मानक मद | कुल धनराशि | रा0हो0मै0स0 देहरादून हेतु | रा0हो0मै0स0 अलमोड़ा हेतु |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04–यात्रा व्यय | 80 | 45 | 35 |
| 2 | 05–स्थानांतरण यात्रा व्यय | 20 | 20 | – |
| 3 | 12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 300 | 175 | 125 |
| 4 | 18–प्रकाशन | 150 | 100 | 50 |
| 5 | 26–मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र | 2500 | 1500 | 1000 |
| 6 | 29–अनुरक्षण | 200 | 150 | 50 |
| 7 | 31–सामग्री और सम्पूर्ति | 650 | 400 | 250 |
| 8 | 45– अवकाश यात्रा व्यय | 200 | 150 | 50 |
| 9 | 46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का कय | 500 | 325 | 175 |
| 10 | 47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय | 100 | 60 | 40 |
| | योग– | 4700 | 2925 | 1775 |

2–उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिन मदों के लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। स्वीकृति मद के इतर व्यय कदापि न किया जाय ।

3–यहाँ यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। स्वीकृति व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है।

4– किसी भी मद में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, भण्डार क्रय नियम तथा मितव्ययता संबंधी समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उपकरणों/कम्प्यूटर आदि का क्रय डी0जी0एस0एण्ड0डी0 की दरों /सूचना तकनीकी विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित शर्तों के अनुसार किया जायेगा और ये दरें न होने की स्थिति में टेन्डर (कोटेशन) विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवंटन दोनो संस्थानों में छात्रों/कार्मिकों के अनुपात में व्यय किया जा रहा है।

6– उपरोक्त धनराशि का उपयोग 31 मार्च, 2006 तक कर लिया जायेगा तथा उक्त तिथि तक पूर्ण उपयोग न होने की दशा में शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

7– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3452– पर्यटन–80–सामान्य–आयोजनागत–00–104–सम्वर्द्धन तथा प्रचार–18– राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान अधिष्ठान –00–के प्रस्तर–1 में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

8– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या– 1408/ वि0अनु0–3/2005, दिनांक 30 अगस्त, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(आनन्द वर्द्धन)
अपर सचिव

संख्या– /VI/2005–51(पर्य0)2003, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी देहरादून/अल्मोड़ा।
3– अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन।
4– प्रधानाचार्य, राजकीय होटल मैनेजमैंट एवं कैटरिंग संस्थान, देहरादून/अल्मोड़ा।
5– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तरांचल शासन।
6– निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री जी, उत्तरांचल शासन ।
7– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
8– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर ।
9– वित्त अनुभाग–3
10– गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।